क्रम-संख्या–196

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 10 दिसम्बर, 2025

अग्रहायण 19, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–4

संख्या 3-ई0एम0 / 2012 / 47-का-4-2025
लखनऊ, 10 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

प0आ0–211

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए हड़ताल, निम्नलिखित में प्रतिषिद्ध करती हैं:–

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा; और

(2) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा।

2–पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि यह अधिसूचना गजट में और राज्य में प्रसार वाले कम से कम दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

आज्ञा से,
एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3-E.M./2012-Ka-4-2025, dated December 10, 2025:

No. 3-E.M./2012-Ka-4-2025

Dated Lucknow, December 10, 2025

WHEREAS the State Government is satisfied that it necessary and expedient in the public interest so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act no. 30 of 1966), the Governor is pleased to prohibit, for a period of six months from the date of publication of this notification in the *Gazette*, strikes in :-

(1) any public service in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh; and

(2) any service under a corporation owned or controlled by the State Government and any service under a local authority.

2. Under sub-section (2) of Section 3 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to direct that this notification shall be published in the *Gazette* and in at least two daily newspapers of Hindi and English having circulation in the State.

By order,

M. DEVARAJ,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 274 राजपत्र–2025–(808)–599+50=649 प्रतियां–(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

274 RPH 2021 (Karmik Anubhag-4) Data 6E